

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2014 (भाद्रपद 8, 1936)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30—SEPTEMBER 5, 2014 (BHADRA 8, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

इंडियन बैंक

चेन्नै-600014, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्रम संख्या पीईएन/1/13--बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, की धारा 19 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, इंडियन बैंक के निदेशक मण्डल ने, इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन अधिनियम 1995 में आगे संशोधन करते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं :

1. (1) इन विनियमों को इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 2013 कहा जाए ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के विनियम 50 के उप-नियम (1) में शब्द “दो वर्ष” के स्थान पर “एक वर्ष” प्रतिस्थापित होगा।

3. इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के विनियम 50 के उप-नियम (6) में शब्द “दो वर्ष” के स्थान पर “एक वर्ष” प्रतिस्थापित होगा।

के. जेयबाल

महा प्रबन्धक (एच आर एम)

पादटिप्पणी: भारत सरकार के राजपत्र में प्रमुख विनियम 20.09.1995 को प्रकाशित किए गए तथा परवर्ती संशोधनों को निम्नप्रकार अधिसूचना संख्या के जरिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

अधिसूचना संख्या	दिनांक
25	16.03.2000
26	29.06.2002
3	11.01.2003
16	17.04.2010

क्रम संख्या पीईएन/2/13-- बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 और बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, इंडियन बैंक के निदेशक मण्डल ने **इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र में नौकरी स्वीकृति के संबंध में) विनियम, 2000** में आगे संशोधन करते हुए, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, यथा:-

- (1) इन विनियमों को **इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र में नौकरी स्वीकृति के संबंध में) संशोधन विनियम 2013** कहा जा सकता है।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र में नौकरी स्वीकृति करने के संबंध में) विनियम 2000** के विनियम 4 में, उप-विनियम (1) में शब्द “दो वर्ष” शब्द के स्थान पर “एक वर्ष” प्रतिस्थापित होगा।

के. जेयबाल

महा प्रबन्धक (एच आर एम)

पादटिप्पणी :- भारत के राजपत्र में 21.3.2001 को प्रमुख विनियम प्रकाशित किये गए थे और परवर्ती संशोधनों को निम्नप्रकार अधिसूचना संख्या के जरिए प्रकाशित किया गया था:-

अधिसूचना संख्या	दिनांक
शून्य	शून्य

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

Indian Bank

Chennai-600014, the 29th November 2013

Sl.No.PEN/1/13- In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Board of Directors of INDIAN BANK after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the INDIAN BANK (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS, 1995, namely:-

1. (1) These regulations may be called INDIAN BANK (EMPLOYEES') PENSION (AMENDMENT) REGULATIONS 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In sub-regulation (1) of regulation 50 of the INDIAN BANK (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS 1995, for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.
3. In regulation 50 of the INDIAN BANK (EMPLOYEES') PENSION REGULATIONS 1995, in sub-regulation (6), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

K. Jeyabal

General Manager (HRM)

Footnote: The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.09.1995 and subsequent amendments vide notification No. published in the Gazette of India as under:-

Notification No.	Date
25	16.03.2000
26	29.06.2002
3	11.01.2003
16	17.04.2010

Sl.No.PEN/2/13- In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Board of Directors of INDIAN BANK after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the INDIAN BANK OFFICER EMPLOYEES' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) REGULATIONS, 2000, namely:-

1. (1) These regulations may be called INDIAN BANK OFFICER EMPLOYEES' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) AMENDMENT REGULATIONS 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 4 of the INDIAN BANK OFFICER EMPLOYEES' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) REGULATIONS 2000, in sub-regulation (1), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

K. Jeyabal

General Manager (HRM)

Footnote: The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 21.03.2001 and subsequent amendments vide notification No. published in the Gazette of India as under:-

Notification No.	Date
Nil	Nil

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in